HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

D.B. Criminal Appeal (Db) No. 420/2019
CNR: RJHC020954722019 | URN: CRLAD / 738U / 2019

Girraj@mahendra S/o Shri Deendayal, Aged About 23 Years, R/o Lalitpura Police Station Baroda, Distt. Sheopur Madhya Pradesh. (At Present Confined In Central Jail Jaipur)

----Accused-Appellant

Versus

State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

Connected With

D.B. Criminal Appeal (Sb) No. 2001/2019
CNR: RJHC020808102019 | URN: CRLAS / 3277U / 2019

Deshraj S/o Shri Nemichand, Aged About 20 Years, R/o Deva Ka Bas, Police Station Renwal Distt. Jaipur.
(At Present In Central Jail Jaipur.)

----Accused-Appellant

Versus

State of Rajasthan, Through P.P.

----Non Appellant

D.B. Criminal Appeal (Sb) No. 2147/2019
CNR: RJHC020848902019 | URN: CRLAS / 3487U / 2019

Hansraj S/o Ramprasad, Aged About 24 Years, R/o Deva Ka Bas, Police Station Renwal, Distt. Jaipur
(Appellant Is Confined In Central Jail Jaipur)

----Accused-Appellant

Versus

State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

D.B. Criminal Appeal (Sb) No. 2367/2019
CNR: RJHC020926652019 | URN: CRLAS / 3814U / 2019

Arjun S/o Shri Suresh Kumar Raigar, Aged About 21 Years, R/o Deva Ka Bass, Police Station Renwal Distt. Jaipur
(Presently Lodged In Central Jail Jaipur)

----Appellant/Accused

Versus

Digitally signed by
NIKITA KUMARI
VERMA
Date: 2026.11.25
17:52:35 IST

State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Appellant(s) (CRLAD No. 420/2019)	:	Mr. Amitabh Vijaywargia with Mr. Ashok Kumawat
For Appellant(s) (CRLAS No. 2001/2019)	:	Mr. Harendra Singh assisted by Mr. Hemang Singh
For Appellant(s) (CRLAS No. 2147/2019)	:	Mr. Amit Jindal assisted by Ms. Dipti Jindal, Mr. Anukram Singh, Mr. Richank Mudgal & Ms. Neetu Bhansali
For Appellant(s) (CRLAS No. 2367/2019)	:	Mr. Parth Sharma with Mr. Yatharth Aggrawal and Mr. Mahesh Kumar Sharma for Mr. Sudhir Jain
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Punia, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE MAHENDAR KUMAR GOYAL
HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Judgment

17/11/2026

1. Date of conclusion of arguments : 17/11/2026
2. Date on which the judgment was reserved : 17/11/2026
3. Whether the full judgment or only the operative part is pronounced : Full judgment
4. Date of pronouncement : 25/11/2026

(PER HON'BLE BHUWAN GOYAL, J.)

1. उक्त चारों अपीलें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित एक ही निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत होने से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2. अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण **1. गिर्राज उर्फ महेन्द्र पुत्र श्री दीनदयाल, 2. देशराज पुत्र नेमी चंद, 3. हंसराज पुत्र रामप्रसाद, 4. अर्जुन पुत्र सुरेश कुमार** द्वारा हस्तगत अपीलें अंतर्गत धारा 374 द.प्रं.सं. के तहत विद्वान विचारण न्यायालय–**विशिष्ट न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 जयपुर जिला** द्वारा सेशन प्रकरण

संख्या–263/2017 (157/2015), उनवानी प्रकरण सरकार बनाम गिर्राज वगैरह में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 28–08–2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी–अभियुक्त **गिर्राज उर्फ महेन्द्र** को अपराध अंतर्गत धारा 363, 366, 376–डी भा.दं.सं. व धारा 5(जी)/6 पोक्सो एक्ट व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट, अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण **अर्जुन व देशराज** को अपराध अंतर्गत धारा 363, 366, 376–डी भा.दं.सं. व धारा 5(जी)/6 पोक्सो एक्ट तथा अपीलार्थी–अभियुक्त **हंसराज** को अपराध अंतर्गत धारा 376–डी भा.दं.सं. व धारा 5(जी)/6 पोक्सो एक्ट के आरोपों में दोषसिद्ध किया जाकर निम्नानुसार दण्डित किया गया है:–

अपीलार्थी–अभियुक्त गिर्राज उर्फ महेन्द्र			
धारा	**सजा**	**अर्थदण्ड**	**अदम अदायगी अर्थदण्ड**
363 भा.दं.सं.	05 वर्ष का कठोर कारावास	50,000/– रुपये	06 माह का कठोर कारावास अतिरिक्त
366 भा.दं.सं.	07 वर्ष का कठोर कारावास	50,000/– रुपये	06 माह का कठोर कारावास अतिरिक्त
376–डी भा.दं.सं.	20 वर्ष का कठोर कारावास	01 लाख रुपये	06 माह का कठोर कारावास अतिरिक्त
3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट	आजीवन कारावास	01 लाख रुपये	06 माह का कठोर कारावास अतिरिक्त
अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण अर्जुन व देशराज			
363 भा.दं.सं	05 वर्ष का कठोर कारावास	50,000/– रुपये	06 माह का कठोर कारावास अतिरिक्त
366 भा.दं.सं.	07 वर्ष का कठोर कारावास	50,000/– रुपये	06 माह का कठोर कारावास अतिरिक्त
376–डी भा.दं.सं.	20 वर्ष का कठोर कारावास	01 लाख रुपये	06 माह का कठोर कारावास अतिरिक्त
अपीलार्थी–अभियुक्त हंसराज			
376–डी भा.दं.सं.	20 वर्ष का कठोर कारावास	01 लाख रुपये	06 माह का कठोर कारावास अतिरिक्त

3. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 17–05–2015 को परिवादी ओमप्रकाश (पी.ड.–6) ने एक तहरीरी रिपोर्ट (प्रदर्श पी.–12) थानाप्रभारी पुलिस थाना जोबनेर, जिला जयपुर में इस

आशय की पेश की कि उसकी पुत्री पीड़िता 'आर', उम्र 16 वर्ष कमल बाल भारती सी0 सै0 माध्यमिक विद्यालय, हिंगोनिया में 11वीं कक्षा में पढ़ती है, जो हमेशा की तरह आज दिनांक 16–05–2015 को सुबह 8:30 बजे स्कूल जाने की कहकर निकली थी, जो स्कूल की छुट्टी होने पर घर पर वापस नहीं आई, तब उसने उसकी छोटी लड़की 'बी' को पूछा तो उसने बताया कि पीड़िता आज स्कूल में नहीं थी। जिस पर उसने मालूमात किया तो पता चला कि उसकी लड़की 'आर' को अर्जुन रैगर पुत्र सुरेश कुमार, देशराज रैगर पुत्र नेमी चन्द, हंसराज रैगर पुत्र रामप्रसाद मिलकर बहला फुसला कर अपने साथी महेन्द्र राजपूत के साथ बदनियति के इरादे से ले गये.....इत्यादि।

4. उक्त तहरीरी रिपोर्ट (प्रदर्श पी–12) के आधार पर पुलिस थाना–जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–126/2015, अन्तर्गत धारा 363, 366ए भा.दं.सं. व धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त गिर्राज उर्फ महेन्द्र के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 363, 366, 376 भा.दं.सं., 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट, अभियुक्त अर्जुन के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 363, 366ए, 376 भा.दं.सं. व 3/4 पोक्सो एक्ट, अभियुक्तगण देशराज व हंसराज के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 363, 366ए भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय–जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर के समक्ष पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, जिस पर मामला विधिवत सुनवाई हेतु न्यायालय–विशिष्ट न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, जयपुर जिला को अंतरित किया गया।

5. दिनांक 04–05–2015 को अभियुक्त गिर्राज उर्फ महेन्द्र को अंतर्गत धारा 363, 366ए, 376 भा.दं.सं. व धारा 3/4 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 व धारा 3–2(5) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अभियुक्त अर्जुन को अंतर्गत धारा 363, 366ए, 376 भा.दं.सं. व धारा 3/4 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण

अधिनियम, 2012 तथा अभियुक्तगण हंसराज व देशराज को अंतर्गत धारा 363, 366ए भा.दं.सं. में दण्डनीय अपराधों के आरोप विरचित कर सुनाए, तत्पश्चात् दिनांक 28–06–2019 को अभियुक्त गिर्राज उर्फ महेन्द्र को अंतर्गत धारा 363, 366 भा.दं.सं. व धारा 5(जी)/6 पोक्सो एक्ट विकल्प में धारा 376–डी भा.दं.सं व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट एवं अभियुक्तगण देशराज, हंसराज व अर्जुन को अंतर्गत धारा 363, 366 भा.दं.सं. व धारा 5(जी)/6 पोक्सो एक्ट विकल्प में धारा 376–डी भा.दं.सं में दण्डनीय अपराधों के संशोधित आरोप विरचित कर उन्हें सुनाए व समझाए गए। अभियुक्तगण ने उक्त आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाहान पी.ड.–01 लगायत पी.ड.–09 के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा मौखिक साक्ष्य के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श पी–01 लगायत प्रदर्श पी–24 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

6. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तत्पश्चात् अभियुक्तगण को धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण का निर्दोष होकर उन्हें झूंठा फंसाया जाना तथा परिवादी द्वारा किसी अन्य को बचाने की वजह से उन्हें झूंठा फंसाया जाना कथन करते हुए साक्ष्य प्रतिरक्षा में गवाहान डी.ड.–1 लगायत डी.ड.–3 के बयान लेखबद्ध करवाए जाकर, दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेजात प्रदर्श डी–01 लगायत डी–04 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

7. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण गिर्राज उर्फ महेन्द्र, अर्जुन, देशराज व हंसराज को उपरोक्तानुसार दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण के द्वारा हस्तगत अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

8. प्रस्तुत मामले में हमारे समक्ष प्रमुख रूप से विचारणीय बिन्दू यह है कि–

1. आया अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण ने दिनांक 16–05–2015 को प्रातः 8:30 बजे के लगभग ग्राम हिंगोनिया, पुलिस थाना जोबनेर में पीड़िता 'आर' जो कि अनुसूचित जाति की सदस्या थी, उसे उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता

से उनकी अनुमति बिना व्यपहरण कर, उसे दिनेश सैनी के किराये के मकान में ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग कर उस पर गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया ?

2. आया विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 28–08–2019 विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है?

9. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण का संयुक्त रूप से कथन है कि अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें उक्त प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है, उनके द्वारा पीड़िता का ना तो उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से व्यपहरण/अपहरण किया है, ना ही उसके साथ दुष्कर्म किया है। उनका यह भी कथन है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि डॉ0 रेणु (पी.ड.–1) जिसके द्वारा पीड़िता का मेडिकल मुआयना किया गया है उसके कथनों से भी नहीं हुई है, क्योंकि उसने पीड़िता 'आर' के बलात्कार संबंधी परीक्षण के समय, उसके आंतरिक अंगों पर कोई चोटें नहीं होना स्वीकार किया है उनका यह भी कथन है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म होने के संबंध में वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं हुई है। उनका यह भी कथन है कि पीड़िता के अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा, उसके साथ बलात्कार करने बाबत कथन भी विश्वसनीय नहीं है क्योंकि उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में उसके साथ गलत काम करने वालों में अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण अर्जुन, हंसराज व देशराज का नहीं होना स्वीकार किया है एवं रामनाथ के विरुद्ध बाद अनुसंधान आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है।

10. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण का यह भी कथन है कि पीड़िता 'आर' ने अपने धारा 161 द.प्र.सं., धारा 164 द.प्र.सं. एवं न्यायालय के समक्ष बयानों में घटना एवं घटनास्थल के संदर्भ में भिन्न–भिन्न कथन किए हैं जिससे उसके कथन विश्वसनीय नहीं हैं। उनका यह भी कथन है कि पीड़िता ने अपने बयानों में उसे अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा मध्यप्रदेश बेचने के लिए ले जाना एवं

वहां महेन्द्र के घर पर रहना कथन किया है, किंतु अनुसंधान अधिकारी ने उसका मध्यप्रदेश ले जाना अनुसंधान में प्रमाणित होना नहीं पाया है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में अनुसंधान के दौरान देशराज व हंसराज का पुंसत्व संबंधी परीक्षण भी नहीं हुआ है एवं अपीलार्थी–अभियुक्त हंसराज को विचारण न्यायालय द्वारा धारा 363 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप प्रमाणित नहीं होने से दोषमुक्त किया गया है, जिससे संपूर्ण अभियोजन कहानी विश्वसनीय नहीं है।

11. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण का यह भी कथन है कि पीड़िता 'आर' की स्कूल रिकॉर्ड में अंकित जन्मतिथि भी विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि विचारण न्यायालय में ना तो उसके कक्षा प्रथम का प्रवेश संबंधी रिकॉर्ड प्रस्तुत हुआ है ना ही उसका जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत हुआ है।

12. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त गिर्राज उर्फ महेन्द्र का पृथक से यह भी कथन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में महेन्द्र राजपूत नामक व्यक्ति की घटना में संलिप्तता बताई गई है, जबकि उसका नाम महेन्द्र नहीं होकर गिर्राज है एवं वह जाति से राजपूत नहीं होकर ब्राह्मण है। उनका यह भी कथन है कि अन्वेषण अधिकारी ने भी अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि गिर्राज व महेन्द्र एक ही व्यक्ति हो इस संबंध में उसने कोई दस्तावेज एकत्रित नहीं किए थे, जिससे प्रकरण में उसके द्वारा पीड़िता के साथ घटना कारित करना प्रमाणित नहीं हुआ है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में अनुसंधान के दौरान ना तो पीड़िता 'आर' को मध्यप्रदेश ले जाना प्रमाणित हुआ है ना ही मध्यप्रदेश वाला घर अपीलार्थी अभियुक्त का होने के संदर्भ में कोई साक्ष्य प्रस्तुत हुई है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में सांगानेर स्थित खाली प्लॉट में पीड़िता के साथ बलात्कार होने की पुष्टि भी नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.–3 से नहीं हुई है। अंत में उक्त सभी का कथन है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने उपरोक्त सभी बिंदुओं की अनदेखी कर आलोच्य आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नहीं है अतः अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करते हुए उन्हें उक्त प्रकरण में दोषमुक्त किया जावें।

13. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए हैंः–

1. Nirmal Premkumar vs. State Rep. By Inspector of Police (SC): Crl. A.No. 1098 of 2024.

2. Vikash Vs. State Govt of NCT Delhi,(Delhi): Crl. A. No. 348 of 2026 with Crl. M. (Bail) No. 749 of 2026.

3. Deepak In JC Vs. State Govt. of Nct Delhi: Criminal Appeal arising out of SLP(Crl.) Nos. 21271-72 of 2025

4. Sonu & Ors. Vs. State of Rajasthan: D.B. Criminal Appeal (DB) No. 212/2023

14. विद्वान लोक अभियोजक का कथन है कि पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से पीड़िता का नाबालिग होना एवं अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा उसका व्यपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करना पूर्णतया प्रमाणित हुआ है। उनका कथन है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त साक्ष्य का गहनता से अवलोकन कर जो आलौच्य आदेश दिनांकित 28–08–2019 पारित किया है, उसमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है, वह पूर्णतया विधिसम्मत है। अतः अपीलें अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण अस्वीकार कर खारिज की जावें।

15. हमनें अपीलीय पत्रावली का मय रिकॉर्ड सम्मानपूर्वक अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत बिरद मल सिंघवी बनाम आनंद पुरोहित **(1988 Supp SCC 604)** में यह अभिनिर्धारित किया है किः–

> "14. … If entry regarding date of birth in the scholar's register is made on the information given by parents or someone having special knowledge of the fact, the same would have probative value. … The date of birth mentioned in the scholars' register has no evidentiary value unless the person who made the entry or who gave the date of birth is examined. The entry contained in the admission form or the scholar's register must be shown to be made on the basis of information given by the parents or a person having special knowledge about the date of birth of the person concerned. If

> the entry in the scholar's register regarding date of birth is made on the basis of information given by parents, the entry would have evidentiary value, but if it is given by a stranger or by someone else who had no special means of knowledge of the date of birth, such an entry will have no evidentiary value. …
>
> 15. Section 35 of the Indian Evidence Act lays down that entry in any public, official book, register, record stating a fact in issue or relevant fact and made by a public servant in the discharge of his official duty specially enjoined by the law of the country is itself the relevant fact. To render a document admissible under Section 35, three conditions must be satisfied, firstly, entry that is (2003) 8 SCC 745 1988 Supp SCC 604 relied on must be one in a public or other official book, register or record; secondly, it must be an entry stating a fact in issue or relevant fact; and thirdly, it must be made by a public servant in discharge of his official duty, or any other person in performance of a duty specially enjoined by law. An entry relating to the date of birth made in the school register is relevant and admissible under Section 35 of the Act, but the entry regarding the age of a person in a school register is of not much evidentiary value to prove the age of the person in the absence of the material on which the age was recorded
>
> … The courts have consistently held that the date of birth mentioned in the scholar's register or secondary school certificate has no probative value unless either the parents are examined or the person on whose information the entry may have been made is examined…"

(***Emphasis Supplied by us***)

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत छत्तीसगढ़ राज्य बनाम लेखराम **(2006) 5 SCC 736** में यह अभिनिर्धारित किया है किः—

> "13. …The materials on record as regards the age of the prosecutrix were, therefore, required to be considered in the aforementioned backdrop. It may be true that an entry in the school register is not conclusive, but it has evidentiary value. Such evidentiary value of a school register is corroborated by oral evidence as the same was recorded on the basis of the statement of the mother of the prosecutrix."

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत विष्णु बनाम महाराष्ट्र राज्य **[(2006) 1 SCC 283)]** में यह अभिनिर्धारित किया है कि:—

> "very often parents furnish incorrect date of birth to the school authorities to make up the age in order to secure admission for their children. For determining the age of the child, the best evidence is of his/her parents, if it is supported by unimpeccable documents. In case the date of birth depicted in the school register/certificate stands belied by the unimpeccable evidence of reliable persons and contemporaneous documents like the date of birth register of the municipal corporation, government hospital/nursing home, etc., the entry in the school register is to be discarded."

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत सतपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य **(2010) 8 SCC 714** में यह अभिनिर्धारित किया है कि:—

> "Though a document may be admissible, but to determine whether the entry contained therein has any probative value, may still be required to be examined in the facts and circumstances of a particular case."

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत मदन मोहन सिंह बनाम रजनीकांत **(2010) 9 SCC 209** में यह अभिनिर्धारित किया है कि:—

> "20. So far as the entries made in the official record by an official or person authorised in performance of official duties are concerned, they may be admissible under Section 35 of the Evidence Act but the Court has a right to examine their probative value. The authenticity of the entries would depend on whose information such entries stood recorded and what was his source of information. The entries in school register/school leaving certificate require to be proved in

accordance with law and the standard of proof required in such cases remained the same as in any other civil or criminal cases.

21. … For determining the age of a person, the best evidence is of his/her parents, if it is supported by unimpeachable documents. In case the date of birth depicted in the school register/certificate stands belied by the unimpeachable evidence of reliable persons and contemporaneous documents like the date of birth register of the Municipal Corporation, government hospital/nursing home, etc., the entry in the school register is to be discarded…"

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत बिरका शिवा बनाम तेलंगाना राज्य **(आपराधिक अपील संख्या 3007/2025, दिनांक 16.07.2025 को निर्णय)** में यह अभिनिर्धारित किया है किः–

8. The evidentiary value of such an entry made in public or official register may be admissible in evidence under Section 35 of the Indian Evidence Act, 1872. However, admissibility is distinct from probative value. While such documents may be admitted into evidence, their evidentiary weight depends on proof of their authenticity and the source of the underlying information. Mere production and marking of a document as exhibit by the Court does not amount to proof of its contents. Its execution has to be proved by leading substantive evidence, that is, by the 'evidence of those persons who can vouchsafe for the truth of the facts in issue."

9. In the attending facts, we find that the evidentiary value of Ex. P11 is significantly undermined in the absence of corroborating material. We say so for the following reasons:

(i) PW-13, who is the Headmaster of Zilla Parishad High School, Chandanapur, Peddapalli District (erstwhile Karimnagar District), stated that the victim studied in his school from 2007 to 2013, i.e., 6th class to 10th class and that the Admission Register records her date of birth as 3rd November, 1996. However, in his cross-examination, he admitted that he had no personal knowledge as to the source or basis on which the date of birth

was recorded therein or if the recorded date of birth was correct or not. The relevant part of his testimony is extracted hereunder:

> ...In our school there is not clerk to maintain records. I did not produce any certificate pertaining to earlier school I, in which P.W. 3 studies up to 5th Class. There must be basis for entering date of birth of a student in our school such as her earlier school record. I do not have personal knowledge as to what record was produced by parents of P.W. 3 as basis to enter her date of birth in our school as I was not Head Master in 2007.
>
> I cannot say in which school P.W. 3 studied up to 5th class. In the nominal roll register of our school, the signature of P.W. 3 was obtained. I do not have personal knowledge whether the said date of birth of P.W. 3 was correct or not and I am giving evidence only on the basis of record.
>
> (Emphasis supplied)

(ii) The prosecution has failed to examine the person who had made the entry in the Admission Register to ascertain on what basis such an entry was made. More so, the entry in respect of the date of birth of the victim in the primary school register i.e. 1st class to 5th class, has not been produced and prved before the Courts below to verify the age as per its records. It is also not possible to ascertain from the records as to whether the date of birth was provided by the parents or simply entered at the behest of another party, without verification, at the time of admission to Zilla Parishad High School.

(iii) The testimonies of PW-1, PW-2 and PW-3 are also telling that none of them mentioned the victim's age with specificity. There is no reference to Ex. P11, and no attempt was made by the prosecution to adduce corroborative testimony regarding the victim's date of birth from her family members.

Thus, while examining the issue at hand, on the anvil of the principles elucidated above, it is essential to notice that the prosecution has failed to toe the line of legal requisites. There is nothing

> on record to corroborate the date of birth of the victim as recorded in the birth certificate (Ex. P11) issued by the school. Therefore, it cannot be relied upon the definitely determine the age of he victim and held with certainty that the victim was below sixteen / eighteen years of age."

22. हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्मानपूर्वक अवलोकन कर उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया।

23. हस्तगत प्रकरण में सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि क्या विद्यालय रिकॉर्ड में अंकित पीड़िता 'आर' की जन्मतिथि सही एवं वास्तविक होकर, पीड़िता वक्त घटना नाबालिग थी? इस संदर्भ में अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी पी.ड. 5 मूलचंद कुमावत जो कि कमल भारती पब्लिक सी.सै. स्कूल, डुंगरी हिंगोनिया जयपुर में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत था उसे न्यायालय में परीक्षित कराया गया है। उक्त गवाह ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि उसने उसके विद्यालय में पढ़ने वाली पीड़िता 'आर' का एस रजिस्टर के आधार पर जन्मतिथि प्रमाण पत्र जारी कर पुलिस को दिया था जो प्रदर्श पी–8 है जिस पर उसके ए से बी हस्ताक्षर है। एस रजिस्टर क्रमांक 500 प्रदर्श पी–9 है, जिस पर ए से बी पीड़िता 'आर' का नाम, पिता व माता का नाम एवं जन्मतिथि इंद्राज है, जिसके अनुसार उसकी जन्म दिनांक 10–10–1998 है, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी–9ए है। पीड़िता 'आर' का स्कूल प्रवेश फॉर्म प्रदर्श पी–10 है, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी–10ए है, उसमें भी पीड़िता 'आर' की जन्म दिनांक 10–10–1998 अंकित है। प्रवेश पत्र के साथ पीड़िता के पिता ओमप्रकाश ने जन्मतिथि बाबत् प्रमाण पत्र दिया था जो प्रदर्श पी–11 है जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी–11ए है, किंतु उक्त गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वह प्रदर्श पी–10 प्रवेश फॉर्म भरते वक्त उक्त स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत नहीं था। प्रदर्श पी–10 उसके सामने पेश नहीं हुआ एवं प्रदर्श पी.–10 के साथ कोई जन्म के संबंधी अस्पताल या पंचायत का जन्म प्रमाण पत्र भी पेश नहीं हुआ था, जिससे उक्त साक्षी का पीड़िता 'आर' के कमल भारती पब्लिक सी. सै. स्कूल में तृतीय कक्षा में प्रवेश फॉर्म भरने के

समय, उस स्कूल में पदस्थापित नहीं होना एवं उक्त प्रवेश फॉर्म के साथ पीड़िता 'आर' का जन्म प्रमाण पत्र/अस्पताल जन्म रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं होना प्रमाणित होता है। हस्तगत प्रकरण में जिस प्रधानाचार्य के उस स्कूल में पदस्थापित रहने के दौरान प्रवेश फार्म प्रदर्श पी–10 प्रस्तुत हुआ था, उसे भी अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में परीक्षित नहीं करवाया है। साक्षी मूलचन्द ने पीड़िता के प्रवेश फॉर्म प्रदर्श पी–10 के साथ पीड़िता के पिता द्वारा उसकी जन्मतिथि बाबत् प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–11 देना यद्यपि कथन किया है, किंतु पीड़िता के पिता (पी.ड.–6) ने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रथम तो उक्त प्रवेश फॉर्म प्रदर्श पी.–10 उसके हस्तलेख में होने एवं उक्त प्रवेश फार्म के साथ पीड़िता का जन्मतिथि प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.–11 देने के संदर्भ में कोई कथन नहीं किये हैं द्वितीय उक्त प्रवेश फार्म एवं जन्मतिथि प्रमाण पत्र पीड़िता के पिता के हस्तलेख में होने के संदर्भ में भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुई है। इस संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि जन्मतिथि प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी–11) सादा कागज पर बना होकर उस पर ना तो कोई उसे प्रस्तुत करने दिनांक अंकित है ना ही उस पर स्कूल की मोहर एवं स्कूल का पृष्ठांकन अंकित है।

हस्तगत प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण है कि पीड़िता 'आर' ने अपने बयानों में उसके द्वारा सर्वप्रथम कमल भारती पब्लिक स्कूल, में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेना कथन किया है, किंतु प्रकरण में उक्त कमल भारती पब्लिक स्कूल का प्रथम कक्षा में प्रवेश का ना तो कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत हुआ है ना ही उक्त स्कूल का स्थानांतरण प्रमाण पत्र उसके कक्षा तृतीय में प्रवेश लेने के समय प्रवेश फॉर्म प्रदर्श पी.–10 के साथ स्कूल में प्रस्तुत किया गया है। इस संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि पीड़िता के उक्त कथनों के विपरीत उसके पिता ने उसका सर्वप्रथम कक्षा तीन में प्रवेश लेना एवं प्रवेश के समय उसकी आयु 3 साल होना कथन किया है। पीड़िता के पिता के उक्त कथन भी विश्वसनीय होना प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि किसी बालक को स्कूल में सामान्यतः सीधे ही तृतीय कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाता है।

24. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 में किसी लोक अथवा सरकारी रजिस्टर में अंकित प्रविष्टि को साक्ष्य में ग्राह्य माने जाने के संदर्भ में प्रावधित किया गया है, किंतु इस संदर्भ में विधि का यह सुप्रतिपादित सिद्धांत भी है कि किसी लोक अथवा सरकारी रजिस्टर में अंकित प्रविष्टि का प्रमाणिक मूल्य, प्रत्येक मामले के तथ्य व परिस्थितियों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर करेगा।

25. हस्तगत प्रकरण में पीड़िता के स्कूल रिकॉर्ड में अंकित प्रविष्टि के संदर्भ में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का यदि अवलोकन करें तो प्रकरण में पीड़िता के पिता ने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रवेश फॉर्म प्रदर्श पी.–10 एवं जन्मतिथि प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.–11 के संदर्भ में कोई कथन नहीं किए हैं, प्रधानाचार्य जिसके पदस्थापन के दौरान उक्त प्रवेश फॉर्म एवं जन्मतिथि प्रमाण पत्र प्रस्तुत हुआ, वह न्यायालय में परीक्षित नहीं हुआ है। प्रवेश फॉर्म एवं जन्मतिथि प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि के समर्थन में पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र/अस्पताल रिकॉर्ड एवं अन्य रिकॉर्ड न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ है। जन्मतिथि प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.–11 भी सादा कागज पर होकर उस पर स्कूल की मोहर व पृष्ठांकन अंकित नहीं है एवं कमल भारती पब्लिक स्कूल जहां पीड़िता 'आर' ने प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया था उसका स्थानान्तरण प्रमाण पत्र भी उसके साथ प्रस्तुत नहीं हुआ है, जिससे हमारी विनम्र राय में हस्तगत प्रकरण में कमल भारती पब्लिक सैकण्डरी स्कूल रिकॉर्ड में अंकित पीड़िता 'आर' की जन्मतिथि सही एवं वास्तविक होने की बात युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं हो पाती है, जिससे पीड़िता का भी हस्तगत प्रकरण में वक्त घटना नाबालिग होना युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं हो पाता है।

26. हस्तगत प्रकरण में जहां तक पीड़िता का उसके विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण/अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने बाबत् अभियोजन कहानी का संबंध है तो पीड़िता ने अपने बयानों में दिनांक 16–05–2015 को उसके घर से स्कूल जाते वक्त अर्जुन व देशराज द्वारा उसे जबरदस्ती बाईक पर बैठाकर देवा का बास ले जाना, वहां रामनाथ का मिलना, फिर देवा का बास से गाड़ी में चौमूं पुलिया

होते हुए सांगानेर ले जाना एवं वहां से महेन्द्र, हंसराज, अर्जुन, देशराज द्वारा उसे मध्यप्रदेश बेचने हेतु ले जाना एवं मध्यप्रदेश में महेन्द्र के घर पर रहना एवं महेन्द्र के मम्मी–पापा द्वारा उसे जयपुर स्टेशन पर लेकर आना एवं मध्यप्रदेश से जब वह वापस आई तब उसके शरीर पर चोट के निशान होकर उसके कपड़े फटे होना कथन किया है, किंतु पीड़िता के उक्त सभी कथन विश्वसनीय होना प्रकट नहीं होते हैं क्योंकि प्रथम तो प्रकरण में पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान रामनाथ के विरुद्ध कोई आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, द्वितीय अभियुक्त हंसराज को विचारण न्यायालय द्वारा धारा 363 भा.दं.सं. का आरोप उसके द्वारा प्रमाणित नहीं पाए जाने से दोषमुक्त किया गया है। पत्रावली पर उक्त आदेश के विरुद्ध अपील होना भी प्रकट नहीं होता है। साथ ही उसे मध्यप्रदेश ले जाने एवं महेन्द्र के घर में रखने बाबत् उसके कथनों की पुष्टि भी अनुसंधान अधिकारी रामप्रकाश मीणा (पी.ड.–9) के कथनों से नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में उसके अनुसंधान में पीड़िता को मध्यप्रदेश ले जाना प्रमाणित नहीं पाया जाना कथन किया है। इसी प्रकार पीड़िता के मध्यप्रदेश से लौटते वक्त उसके शरीर पर चोटें होने एवं उसके कपड़े फटे हुए होने बाबत कथनों की पुष्टि भी प्रकरण में उसका चोट प्रतिवेदन एवं उसके फटे कपड़े जब्त नहीं होने से नहीं हो पाई है साथ ही महेन्द्र के मम्मी–पापा द्वारा उसे जयपुर स्टेशन पर छोड़ने बाबत् कथनों की पुष्टि भी प्रकरण में फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी.–18 से नहीं हो पाई है।

27. हस्तगत प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण है कि पीड़िता ने अपनी साक्ष्य में उसे मुलजिमान द्वारा मोटरसाइकिल पर बैठाकर देवा का बास ले जाना, देवा का बास से उसे गाड़ी में बैठाकर चौमूं पुलिया होते हुए सांगानेर ले जाना एवं सांगानेर से मध्यप्रदेश ले जाना एवं सांगानेर स्थित खाली प्लाट में उसके साथ बलात्कार करना कथन किया गया है, किंतु पीड़िता ने उक्त स्थानों पर जाते वक्त ना तो कोई शोर मचाया गया है ना ही भागने का प्रयास किया गया है, बल्कि अपनी प्रतिपरीक्षा में मकान से कार तक पैदल–पैदल जाना स्वीकार किया है। प्रकरण में यह भी

महत्वपूर्ण है कि अनुसंधान के दौरान कोई वाहन भी प्रत्यर्थीगण–अभियुक्तगण से जब्त नहीं हुआ है।

28. हस्तगत प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण है कि स्वयं पीड़िता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अर्जुन, देशराज एवं हंसराज द्वारा उसके साथ गलत काम करने से इनकार किया है एवं रामनाथ के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है एवं उसके साथ सांगानेर स्थित खाली प्लॉट में दुष्कर्म होने बाबत् उसके कथनों की पुष्टि भी, नक्शा मौका प्रदर्श पी.–3 से नहीं हो पाई है, क्योंकि नक्शा मौका प्रदर्श पी.–3 के अवलोकन से उस स्थान का खाली प्लाट नहीं होकर, रिहायशी मकान होना एवं उसके आस पास अन्य लोगों के मकान बने होना प्रमाणित होता है।

29. हस्तगत प्रकरण में इसी प्रकार उसके साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि भी उसकी मेडिकल साक्षी डॉ0 रेणु (पी.ड.–1) के कथनों से नहीं हो पाई है, क्योंकि उसने बलात्कार संबंधी मुआयने के समय पीड़िता के प्राइवेट पार्ट के आंतरिक व बाह्य भाग पर कोई चोटें या सूजन होने से इन्कार किया है एवं प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण है कि उसके दुष्कर्म होने के संदर्भ में कोई वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं हुई है।

30. हस्तगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित महेन्द्र राजपूत एवं अपीलार्थी–अभियुक्त महेन्द्र उर्फ गिर्राज का एक ही व्यक्ति होना भी युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं हो पाया है क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–12 में महेन्द्र के नाम के आगे राजपूत शब्द अंकित है, किंतु अपीलार्थी–अभियुक्त गिर्राज उर्फ महेन्द्र की जाति ब्राह्मण है। अनुसंधान अधिकारी (पी.ड.–9) रामप्रकाश मीणा ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस संदर्भ में यह स्वीकार किया है कि गिर्राज उर्फ महेन्द्र एक ही व्यक्ति होने के संदर्भ में पत्रावली पर कोई दस्तावेज नहीं है।

31. अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व उभयपक्षों के तर्कों पर मनन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत विचारणीय बिंदु को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांकित 28–08–2019 विधिसम्मत नहीं होने से, उक्त निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अतः अपीलें, अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण **गिर्राज उर्फ महेन्द्र, देशराज, हंसराज, अर्जुन** स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय– **विशिष्ट न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, जयपुर जिला** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–**263/2017**, (157/2015), उनवानी प्रकरण **सरकार बनाम गिर्राज वगैरह** में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक–**28–08–2019** को रद्द एवं अपास्त किया जाता है। अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण **गिर्राज उर्फ महेन्द्र, देशराज, हंसराज, अर्जुन** को उपरोक्त आरोपित अपराधों से दोषमुक्त (बरी) किया जाता है।

32. अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण देशराज, हंसराज व अर्जुन पूर्व से ही जमानत पर स्वतंत्र हैं, उन्हें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है और उनके जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। जहां तक अपीलार्थी–अभियुक्त गिर्राज उर्फ महेन्द्र का संबंध है, संबंधित जेल अधीक्षक को इस आशय की तहरीर जारी की जावे कि यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित ना हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में नियमानुसार अविलम्ब रिहा किया जावे।

33. अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण **गिर्राज उर्फ महेन्द्र, देशराज, हंसराज, अर्जुन** को निर्देशित किया जाता है कि यदि वे **पचास हजार रूपये** का स्वयं का बन्ध–पत्र तथा इसी राशि की एक सुदृढ प्रतिभूति, धारा **437–क द.प्र.सं./481 बीएनएसएस** के अनुसार, दोषमुक्त किए जाने के निर्णय की दिनांक से दो सप्ताह के भीतर रजिस्ट्रार (न्यायिक) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के समक्ष इस आशय की पेश करे कि इस निर्णय के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर करने की स्थिति में या अनुमति प्रदान किये जाने की स्थिति में नोटिस की तामिल होने के पश्चात् वे माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। उपरोक्त बंध पत्र छः माह के लिए प्रभावी रहेगा।

34. इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ विद्वान विचारण न्यायालय को भिजवाई जावे।

(BHUWAN GOYAL),J **(MAHENDAR KUMAR GOYAL),J**